पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), *E-mail ID- academicprsu2@gmail.com*

क्रमांक : 1425/अका./2022 रायपुर, दिनांक : 01.04.2022

।। अधिसूचना ।।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01/04/2022 में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3–33/2020/38–1 दिनांक 28/03/2022 के परिपालन एवं शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल 2022 के आयोजन, मूल्यांकन एवं परिणाम पद्धति के लिए विनियम क्रमांक – 182 D का अनुमोदन कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 01/04/2022 में किया गया है, जो निम्नांकित है –

Regulation No. – 182 D

वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल 2022 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति

(Under the Provision of Ordinance 5)

(E.C. 01.04.2022)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3–33/2020/38–1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/03/2022 के परिपालन एवं शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए **शिक्षा सत्र 2021–22 के वार्षिक परीक्षा के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार प्रावधान लागू किया जाना प्रस्तावित –**

(1) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) वार्षिक पद्धति की कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा –

2.1 निर्धारित परीक्षा दिवस में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र Online (E-mail/Whatsapp) आदि के माध्यम से भेजा जाएगा।

2.2 परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर घर अथवा सुलभ स्थान पर लिख कर भेजेंगे। उत्तर लिखने की समय–सीमा एवं उत्तर भेजने की तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(3) **वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षाफल निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा –**

3.1 प्रश्नपत्रवार अंक की गणना गत वर्ष के कुल प्राप्तांक के औसत का 50 प्रतिशत भार (Weightage) तथा वर्तमान परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्न–पत्र के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत भार (Weightage) देकर अंक गणना की जाएगी।

3.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा के प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक के आधार पर अंक गणना की जाएगी।

Annexure –A (वार्षिक परीक्षा)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	स्नातक तृतीय वर्ष (किसी प्रश्न–पत्र/विषय का अंक	संबंधित प्रश्न–पत्र के पूर्णांक का **50 प्रतिशत Weightage** – प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के कुल प्राप्तांक का औसत तथा **50 प्रतिशत Weightage** – विषय/प्रश्न पत्र का प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न–पत्र का पूर्णांक 75 अंक है तो **37.5 अंक** – स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक का औसत 360/600+372/600= 732/1200=61.00 प्रतिशत का **Weightage** अंक =22.87 (23 अंक) तथा **37.5 अंक** – प्रश्न–पत्र के प्राप्तांक 70/75=93.33 प्रतिशत का **Weightage** अंक = 34.99 (35 अंक) इस प्रकार कुल 23+35= 58 अंक प्राप्त होंगे।

Annexure –B (वार्षिक परीक्षा)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	स्नातक द्वितीय वर्ष (किसी प्रश्न–पत्र /विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न–पत्र के पूर्णांक का **50 प्रतिशत Weightage** – प्रथम वर्ष के प्राप्तांक तथा **50 प्रतिशत Weightage** – विषय/प्रश्न पत्र का प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न–पत्र का पूर्णांक 100 अंक है तो **50 अंक** – स्नातक प्रथम वर्ष के प्राप्तांक 400/600 =66.67 प्रतिशत का **Weightage** अंक 33.3 =33 अंक तथा **50 अंक** – परीक्षा के प्राप्तांक 80/100=80 प्रतिशत का **Weightage** अंक–40, इस प्रकार कुल 33+40=73 अंक प्राप्त होंगे।

Annexure –C (वार्षिक परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	स्नातकोत्तर अंतिम (किसी प्रश्न–पत्र/विषय का अंक	संबंधित प्रश्न–पत्र के पूर्णांक का **50 प्रतिशत Weightage** – स्नातकोत्तर पूर्व के प्राप्तांक तथा **50 प्रतिशत Weightage** – विषय/प्रश्न पत्र का प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न–पत्र का पूर्णांक 100 है तो **50 अंक** – स्नातकोत्तर पूर्व के प्राप्तांक 400/500=80 प्रतिशत का 50 अंक में **Weightage** अंक = 40 तथा **50 अंक** – परीक्षा के अंक 70/100 अंक = 70 प्रतिशत का **Weightage** अंक – 35, इस प्रकार कुल 40+35 = 75/100 अंक प्राप्त होंगे।

(4) उक्त रीति से घोषित परीक्षा परिणाम में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।

(5) उपर्युक्त व्यवस्था केवल शिक्षा सत्र 2021–22 की वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल 2022 के लिए प्रभावशील होगी।

आदेशानुसार,

1.4.22

कुलसचिव

पृ. क्रमांक :1426/अका./2022 रायपुर, दिनांक : 01.04.2022

प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी.–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
5. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
6. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
7. उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/परीक्षा/विकास/स.कु.स. गोपनीय /वित्त नियंत्रक,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01.4.22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)